न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 225/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मोहनी देवी पत्नी स्व0 सोनाराम 2. विमला पत्नी नाथुराम पुत्री स्व0 सोनाराम (दोनों जाति माली, निवासी सालावास रेल्वे स्टेशन के पास, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राज0) 3. गोमती पत्नी डूंगरराम पुत्री स्व0 सोनाराम, जाति माली, निवासी पनवाडी बेरा, गेंवा–सूरसागर, तहसील व जिला जोधपुर (राज0)		1. अणदाराम पुत्र स्व0 सोनाराम 2. जेठाराम पुत्र स्व0 सोनाराम (जाति माली, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राज0) 3. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) लूणी, जिला जोधपुर अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण सं0 24/2022 निर्णय दिनांक 28.02.2023 प्रार्थी अणदाराम पुत्र सोनाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) बाबत नामान्तरकरण दर्ज करने

उपस्थित–

1. श्री अजीत दैया, वकील अपीलांट्स
2. प्रत्यर्थी सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित
3. श्री राजीव पटेल, वकील रेस्पो0सं0 2
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3

निर्णय

दिनांक 27.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार लूणी (जोधपुर) द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत दिनांक 22.04.2022 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 24/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–अणदाराम ने दिनांक 24.11.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसील लूणी स्थित ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन के खसरा नं0 293/5, 294/13, 293/4, 295/8 व 710/3 की कुल रकबा भूमि में निहित अपने हिस्से का नामान्तरकरण अपंजीकृत वसीयत दिनांक 24.04.2022 के आधार पर दर्ज का आग्रह किया गया।

जो दर्ज रजिस्टर कर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। वसीयतनामे में दर्ज गवाह को नोटिस जारी कर बयान कलमबद्ध किए गये तथा दैनिक प्रतिनिधी समाचार पत्र में दिनांक 10.12.2022 को सार्वजनिक/आम सूचना प्रकाशित करवाकर, हितबद्ध पक्षकारों से 15 दिवस में उज्र एतराज/आपत्ति आंमत्रित की गई। प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2023 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वसीयतग्रहिता के हक में पैतृक पुश्तैनी जायदाद की तथाकथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण भूमि दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होना मानते हुए हल्का पटवारी सालावास को ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन के खसरा नम्बर 294/13, 293/4, 293/5, 295/8 व 710/3 की स्व0 सोनाराम की सहखातेदारी कृषि भूमियों में निहित हिस्से में इनके स्थान पर वसीयत–ग्रहिता अणदाराम, जेठाराम पुत्रगण स्व0 सोनाराम माली के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्याय हित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पिता/पति स्व0 सोनाराम की संयुक्त खातेदारी की पैतृक एवं खरीदसुदा कृषि भूमि ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन, तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 293/5, 293/4, 295/8, 710/3 तथा 294/13 की कुल रकबा भूमि 14 बीघा 10 विस्वा, 10 विस्वांशी आई हुई थी। उक्त कृषि भूमि का प्रत्यर्थी सं0 1 व 2–अणदाराम व जेठाराम जो कि अपीलार्थी सं0 1–मोहनीदेवी के पुत्र एवं अपीलाथी सं0 2 व 3–विमला व गोमती के सगे भाई है, ने स्व0 सोनाराम के लकबे की बीमारी का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा अपीलार्थीगण की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जानकारी में लाये बगैर कूटरचित एवं अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तहसीलदार(भू.अ.) लूणी के समक्ष अन्तर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जरिये नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करने का आदेश पारित करवा लिया गया, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। स्व0 सोनाराम को लकबे की बीमारी के दौरान उनकी सेवा–चाकरी अपीलार्थी सं0 1–मोहनीदेवी उनकी पत्नी स्वयं करती थी तथा उक्त गंभीर बीमारी के दौरान, उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण हर समय उनके साथ ही रहती थी। ऐसी स्थिति में स्व0 सोनाराम द्वारा बिना किसी कारण व अपनी पत्नी की जानकारी में लाये बिना अथवा उसके भविष्य एवं वृद्धावस्था की चिंता किए बगैर, गैर व्यक्तियों को साक्ष्य बनाकर अपने पुत्रों के नाम वसीयत कर देना संदेहास्पद है। अतः अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण काबिले निरस्त है।

अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाएं है। प्रत्यर्थीगण ने इसका नाजायज फायदा उठाते हुए, उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित कराने से पूर्व, स्व0 सोनाराम के जायंदा वारिसान/अपीलांट्स को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामिल नही करवाये गये तथा युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आपसी मिली भगत से समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करवाकर अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में नामान्तरण पारित करवा लिया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार लूणी द्वारा हल्का पटवारी से तलब की गई रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अथवा जानकारी में लाए बिना कार्यालय में ही तैयार की गई है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में नामान्तरण विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत बन चुका है कि कोई भी नामान्तरण केवल न्यायालय के निर्णय एवं पंजीकृत विलेख के आधार पर ही पारित किया जाना चाहिए। उसके अभाव में फौतेदगी नामान्तरण पारित करने से पूर्व अथवा किसी अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामान्तरण पारित करने से पूर्व निष्पादनकर्ता के समस्त जायंदा/विधिक वारिसान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अभाव में पारित आदेश शून्य एवं निष्प्रभावी है। अतः अपील अपीलांट्स न्यायहित में स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में स्वीकृत ना0क0सं0 252 दिनांक 16.05.2023 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्यर्थी सं0 2 के योग्य अधिवक्ता ने फार्म नं0 3 के संलग्न जेठाराम पुत्र स्व0 सोनाराम का शपथ–पत्र, जो गैर न्यायिक स्टाम्प पर लिखित व नोटेरी तस्दीकसुदा है, प्रस्तुत कर उसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त वसीयत मेरे भाई रेस्पो0सं0 1–अणदाराम ने दिनांक 28.02.22 को मेरे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर कर, उनके हक, हिस्से की पैतृक एवं खरीदसुदा जायदाद से मेरी माताजी, बहनों को वंचित करने की बदनियती से कूटरचित रूप से तैयार करवायी गई है। इसकी जानकारी मेरी माताजी, बहनों व मुझे नही रही। वसीयत पर अनुप्रमाणन साक्षी के रूप में अणदाराम ने अपने दामाद–कमलेश गहलोत एवं अपने पुत्र के साले रतनलाल की साख डालकर षडयंत्र पूवर्क तैयार करवायी गई है। मेरे पिताजी लकबे की बीमारी से ग्रस्त थे, जिस कारण चलने–फिरने तथा कुछ भी समझने में असमर्थ हो गये थे। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपने हस्ताक्षरों से वसीयत निष्पादन का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उनकी बीमारी के दौरान मेरी माताजी हर समय उनकी सेवा–चाकरी व देखभाल हेतु साथ रहती थी, यदि मेरे पिताजी द्वारा उक्त वसीयत निष्पादित की गई होती, तो इसकी जानकारी मेरी माताजी को अवश्य होती। उक्त वसीयत के आधार पर मेरे भाई द्वारा की गई अपीलाधीन कार्यवाही की भी मुझे कोई जानकारी नही रही, तथा मुझे मुगालते में रख कर मौका फर्द में हस्ताक्षर करवाये गये। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार उक्त अपील तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण संख्या 24/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसकी सुनवाई उक्त वसीयत प्रकरण में तहसीलदार लूणी द्वारा पारित निर्णय तक ही सिमित है। अपीलाधीन आदेश में मृत्तक खातेदार सोनाराम की पैतृक पुश्तैनी जायदाद की तथाकथित अपंजीकृत वसीयत के आधार पर संपूर्ण भूमि वसीयतग्रहिता के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि पैत्तृक जायदाद में वसीयतकर्ता अपने हक–हिस्से तक ही वसीयत निष्पादित करने का कानूनन अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपंजीबद्ध वसीयतनामें की जांच में हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 16.01.23 के बिन्दु सं0 3 में अपीलांट्स को मृत्तक सोनाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान होना तथा बिन्दु सं0 4 में वसीयत की गई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि को पैत्तृक एवं खरीदी हुई बताया गया है। हस्तगत अपील प्रकरण में वसीयत ग्रहिता–रेस्पो0सं0 1–अणदाराम बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस, डिलीवर्ड रिपोर्ट के अनुपस्थित है। रेस्पो0सं0 2–जेठाराम की ओर से फार्म नं0 3 के संलग्न प्रस्तुत शपथ पत्र (गैर न्यायिक स्टाम्प पर लिखित व नोटेरी तस्दीकसुदा) में उक्त वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित बताया गया है। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 252 स्वीकृत दिनांक 16.05.2023 निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) लूणी द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण संख्या 24/2022 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 व इसकी पालना में पारित स्वीकृत ना0क0सं0 252 दिनांक 16.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड पूर्व की स्थिति में बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.3.26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर